[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं. 68 /2017-सीमाशुल्क (एन.टी.)

नई दिल्ली, 30 जून, 2017

सा.का.नि. ...(अ) -केंद्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 156 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सीमाशुल्क (शुल्क्य माल के विनिर्माण के लिए शुल्क की रियायती दर पर माल का आयात) नियम, 2016 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ–**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सीमाशुल्क (शुल्क की रियायती दर पर माल का आयात) नियम, 2017 है ।

(2) ये जुलाई 2017 के प्रथम दिन लागू होंगे।

2. **लागू होना–**(1) ये नियम ऐसे आयातकर्ता को लागू होंगे, जिसका सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन जारी किसी छूट वाली अधिसूचना का फायदा लेने का आशय है और जहां ऐसी छूट का फायदा किसी वस्तु के विनिर्माण के लिए या आउटपुट सेवा के प्रदान किए जाने के लिए उस अधिसूचना में समाविष्ट आयातित माल के उपयोग पर निर्भर है ।

(2) ये नियम केवल ऐसी छूट अधिसूचनाओं की बाबत लागू होंगे, जिनमें इन नियमों के पालन किए जाने का उपबंध है ।

3. **परिभाषा–**इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

(क) "अधिनियम" से सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) अभिप्रेत है ;

(ख) "छूट वाली अधिसूचना" से अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन जारी कोई अधिसूचना अभिप्रेत है ;

(ग) ''सूचना'' से ऐसे विनिर्माता द्वारा दी गई सूचना अभिप्रेत है, जो किसी छूट वाली अधिसूचना का फायदा लेने का आशय रखता है ;

(घ) ''अधिकारिता वाला सीमाशुल्क अधिकारी'' से उस परिसर पर, जहां आयातित माल को विनिर्माण के लिए या आउटपुट सेवाएं देने के लिए उपयोग किए जाने के लिए रखा

जाएगा, अधिकारिता का प्रयोग करने वाले अधीक्षक या किसी मूल्यांकक की पंक्ति के समतुल्य पंक्ति का सीमाशुल्क अधिकारी अभिप्रेत है ;

(ड.) ''विनिर्माण'' से कच्ची सामग्री या इनपुटों का ऐसी रीति में प्रसंस्करण अभिप्रेत है, जिसके परिणामस्वरूप एक सुभिन्न नाम, प्रकृति और उपयोग वाले नए उत्पाद का आभिर्भाव हुआ है और ''विनिर्माता'' पद का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा ;

(च) ''आउटपुट'' सेवा से आयातित माल के उपयोग सहित सेवा की पूर्ति अभिप्रेत है ।

4. **छूट वाली अधिसूचना का फायदा लेने के आशय के बारे में सूचना--** कोई आयातकर्ता, जो किसी छूट वाली अधिसूचना का फायदा लेने का आशय रखता है, उस परिसर पर, जहां आयातित माल को विनिर्माण के लिए या आउटपुट सेवाएं देने के लिए उपयोग किए जाने के लिए रखा जाएगा, अधिकारिता का प्रयोग करने वाले, यथास्थिति, सीमाशुल्क उपायुक्त या सहायक सीमाशुल्क आयुक्त को निम्नलिखित विशिष्टियों की सूचना देगा, अर्थात् :-

(i) विनिर्माता का नाम और पता;

(ii) उसकी विनिर्माण सुविधा में उत्पादित माल ;

(iii) माल के विनिर्माण या किसी आउटपुट सेवा के देने में प्रयुक्त आयातित माल की प्रकृति और वर्णन ।

5. **अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया–**(1) ऐसा आयातकर्ता, जो छूट वाली अधिसूचना का फायदा लेने का आशय रखता है, निम्नलिखित रूप में सूचना देगा–

(क) दो प्रतियों में, ऐसे परिसर पर, जहां आयातित माल को विनिर्माण के लिए या आउटपुट सेवाएं देने के लिए उपयोग किए जाने के लिए रखा जाएगा, अधिकारिता का प्रयोग करने वाले, यथास्थिति, सीमाशुल्क उपायुक्त या सहायक सीमाशुल्क आयुक्त को एक वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए आयात किए जाने वाले माल की प्राक्कलित मात्रा और मूल्य, ऐसे आयात पर लागू छूट वाली अधिसूचना की विशिष्टियां और विशिष्ट परेषण की बाबत आयात का पत्तन ; और

(ख) एक सेट में आयात के सीमाशुल्क स्टेशन पर, यथास्थिति, सीमाशुल्क उपायुक्त या सहायक सीमाशुल्क आयुक्त को ।

(2) ऐसा आयातकर्ता, जो छूट वाली अधिसूचना का फायदा लेने का आशय रखता है, ऐसे प्रतिभू या प्रतिभूति सहित, चलत बंधपत्र, जो, ऐसे परिसर पर, जहां आयातित माल को विनिर्माण के लिए या आउटपुट सेवाएं देने के लिए उपयोग किए जाने के लिए रखा जाएगा, अधिकारिता का प्रयोग करने वाले, यथास्थिति, सीमाशुल्क उपायुक्त या सहायक सीमाशुल्क आयुक्त द्वारा उपयुक्त समझा जाए, इनपुटों पर उद्ग्रहणीय शुल्क किन्तु छूट लिए गए और आयात के समय पहले ही संदत्त, यदि कोई है, के बीच अंतर के बराबर रकम का माल के आयात की उस तारीख से, जिसको छूट ली

गई थी, प्रारंभ होकर शुल्क के अंतर की उस संपूर्ण रकम के, जिसका वह संदाय करने का दायी है, वास्तविक संदाय की तारीख को समाप्त होने वाली अवधि के लिए इस अधिनियम की धारा 28कक के अधीन जारी अधिसूचना द्वारा नियत दर से ब्याज सहित संदाय करने के वचन सहित प्रस्तुत करेगा ।

(3) ऐसे परिसर पर, जहां आयातित माल को विनिर्माण के लिए या आउटपुट सेवाएं देने के लिए उपयोग किए जाने के लिए रखा जाएगा, अधिकारिता का प्रयोग करने वाला, यथास्थिति, सीमाशुल्क उपायुक्त या सहायक सीमाशुल्क आयुक्त आयातकर्ता से प्राप्त सूचना की एक प्रति आयात के सीमाशुल्क स्टेशन पर, यथास्थिति, सीमाशुल्क उपायुक्त या सहायक सीमाशुल्क आयुक्त को देगा ।

(4) सीमाशुल्क स्टेशन पर, यथास्थिति, सीमाशुल्क उपायुक्त या सहायक सीमाशुल्क आयुक्त उपनियम (1) के खंड (ख) के अधीन सूचना की प्रति प्राप्त होने पर उस आयातकर्ता को, जिसका छूट वाली सूचना का फायदा लेने का आशय है, छूट वाली अधिसूचना का फायदा अनुज्ञात करेगा ।

(6) ऐसे आयातकर्ता द्वारा, जिसका किसी छूट वाली अधिसूचना का फायदा लेने का आशय है, आयातित माल की प्रापति की बाबत सूचना देना और अभिलेख रखना- (1) ऐसे आयातकर्ता द्वारा, जिसका किसी छूट वाली अधिसूचना का फायदा लेने का आशय है, उसके उस परिसर में, जहां माल विनिर्माण के लिए उपयोग के लिए रखा जाता है, ऐसी प्रापति के दो दिन के भीतर (अवकाश दिन, यदि कोई हो, को छोड़कर) अधिकारिता रखने वाले सीमाशुल्क अधिकारी को आयातित माल की प्रापति की सूचना देगा ।

(2) ऐसा आयातकर्ता, जिसने किसी छूट वाली अधिसूचना का फायदा ले लिया है, ऐसी रीति में लेखा रखेगा, जिससे आयातित माल की मात्रा और मूल्य, छूट वाली अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार उपभोग किए गए आयातित माल की मात्रा नियम 7 के अधीन पुन: निर्यात किए गए माल की मात्रा, यदि कोई हो और स्टाक में प्रवेशपत्र वार शेष मात्रा स्पष्टत: उपदर्शित हो तथा ऐसा लेखा, जब कभी ऐसे परिसर पर, जहां आयातित माल को विनिर्माण के लिए या आउटपुट सेवाएं देने के लिए उपयोग किए जाने के लिए रखा जाएगा, अधिकारिता का प्रयोग करने वाला, यथास्थिति, सीमाशुल्क उपायुक्त या सहायक सीमाशुल्क आयुक्त द्वारा अपेक्षा की जाए, प्रस्तुत करेगा ।

(3) ऐसा आयातकर्ता, जिसने किसी छूट वाली अधिसूचना का फायदा ले लिया है, परिसर पर, जहां आयातित माल को विनिर्माण के लिए या आउटपुट सेवाएं देने के लिए उपयोग किए जाने के लिए रखा जाएगा, अधिकारिता का प्रयोग करने वाले, यथास्थिति, सीमाशुल्क उपायुक्त या सहायक सीमाशुल्क आयुक्त को अगली तिमाही के दसवें दिन इन नियमों से संलग्न प्ररूप में तिमाही विवरणी प्रस्तुत करेगा ।

7. **अनुपयोजित या त्रुटिपूर्ण माल का पुन: निर्यात या निकासी**–(1) ऐसा आयातकर्ता, जिसने किसी छूट वाली अधिसूचना का फायदा ले लिया है, इन नियमों का पालन विहित करके, ऐसे परिसर पर, जहां आयातित माल को विनिर्माण के लिए या आउटपुट सेवाएं देने के लिए उपयोग किए जाने के लिए रखा जाएगा, अधिकारिता का प्रयोग करने वाले, यथास्थिति, सीमाशुल्क उपायुक्त या

सहायक सीमाशुल्क आयुक्त की अनुज्ञा से आयात की तारीख से छह मास के भीतर अनुपयोजित या त्रुटिपूर्ण आयातित माल का पुन: निर्यात कर सकेगा :

परंतु पुन: निर्यात के लिए ऐसे माल का मूल्य उक्त माल के आयात के समय मूल्य से कम नहीं होगा ।

(2) ऐसा आयातकर्ता, जिसने किसी छूट वाली अधिसूचना का फायदा ले लिया है, इन नियमों का पालन विहित करके, ऐसे परिसर पर, जहां आयातित माल को विनिर्माण के लिए या आउटपुट सेवाएं देने के लिए उपयोग किए जाने के लिए रखा जाएगा, अधिकारिता का प्रयोग करने वाले, यथास्थिति, सीमाशुल्क उपायुक्त या सहायक सीमाशुल्क आयुक्त की अनुज्ञा से आयात की तारीख से छह मास के भीतर ऐसे माल पर उद्ग्रहणीय शुल्क किन्तु छूट लिए गए और आयात के समय पहले ही संदत्त, यदि कोई है, के बीच अंतर के बराबर रकम का माल के आयात की उस तारीख से, जिसको छूट ली गई थी, प्रारंभ होकर शुल्क के अंतर की उस संपूर्ण रकम के, जिसका वह संदाय करने का दायी है, वास्तविक संदाय की तारीख को समाप्त होने वाली अवधि के लिए इस अधिनियम की धारा 28कक के अधीन जारी अधिसूचना द्वारा नियत दर से ब्याज सहित संदाय करके अनुपयोजित या त्रुटिपूर्ण आयातित माल की निकासी भी कर सकेगा ।

8. **कतिपय मामलों में शुल्क की वसूली**-- ऐसा आयातकर्ता, जिसने किसी छूट वाली अधिसूचना का फायदा ले लिया है, आयातित माल का उपयोग संबंधित छूट वाली अधिसूचना में उललिखित शर्तों के अनुसार करेगा या नियम 7 के अधीन कार्यवाही करेगा और किसी असफलता की दशा में, ऐसे परिसर पर, जहां आयातित माल को विनिर्माण के लिए या आउटपुट सेवाएं देने के लिए उपयोग किए जाने के लिए रखा जाएगा, अधिकारिता का प्रयोग करने वाले, यथास्थिति, सीमाशुल्क उपायुक्त या सहायक सीमाशुल्क आयुक्त, आयात की तारीख से छह मास के भीतर ऐसे माल पर उद्ग्रहणीय शुल्क किन्तु छूट लिए गए और आयात के समय पहले ही संदत्त, यदि कोई है, के बीच अंतर के बराबर रकम का माल के आयात की उस तारीख से, जिसको छूट ली गई थी, प्रारंभ होकर शुल्क के अंतर की उस संपूर्ण रकम के, जिसका वह संदाय करने का दायी है, वास्तविक संदाय की तारीख को समाप्त होने वाली अवधि के लिए इस अधिनियम की धारा 28कक के अधीन जारी अधिसूचना द्वारा नियत दर से ब्याज सहित रकम की वसूली कार्यवाहियां प्रारंभ करने के लिए बंधपत्र का अवलंब लेगा ।

8. सीमाशुल्क (शुल्क्य माल के विनिर्माण के लिए शुल्क की रियायती दर पर माल का आयात) नियम, 1996 के किसी नियम, अधिसूचना, परिपत्र, अनुदेश, स्थायी आदेश, व्यापार नोटिस या अन्य आदेश और उसके किसी उपबंध के प्रति या सीमाशुल्क (शुल्क्य माल के विनिर्माण के लिए शुल्क की रियायती दर पर माल का आयात) नियम, 2016 और उसके किसी तत्स्थानी उपबंध के प्रति निर्देश का अर्थ सीमाशुल्क (शुल्क की रियायती दर पर माल का आयात) नियम, 2017 के प्रति निर्देश के रूप में लगाया जाएगा ।

[फा.सं. 450/28/2016-सीमाशुल्क IV]

(जुबेर रियाज)
निदेशक (सीमाशुल्क)

प्ररूप

[नियम 6 (3) देखिए]

तिमाही विवरणी

......को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए विवरणी

क्र.सं.	प्रवेश पत्र सं. और तारीख	रियायती दर पर आयात किए गए माल का वर्णन	तिमाही के पहले दिन आरंभिक अतिशेष	तिमाही के दौरान आयातित माल के ब्यौरे							शुल्क की रियायती दर पर माल उपाप्त करने का विनिर्दिष्ट प्रयोजन	तिमाही के दौरान विनिर्मित माल/उपलब्ध कराई गई आउटपुट सेवा		माल का उपयोग विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए किया गया या नहीं, और आयात की दशा में निर्यातित मात्रा को कर-बीजक के ब्यौरे सहित विनिर्दिष्ट करें
				तिमाही के दौरान प्राप्त माल का मूल्य	तिमाही के दौरान प्राप्त माल की मात्रा	स्तंभ (4) और स्तंभ (6) का योग	तिमाही के दौरान आशयित प्रयोजन के लिए उपभोग की गई मात्रा	तिमाही के दौरान पुन: निर्यात की गई मात्रा	तिमाही के दौरान घरेलू बाजार में निकासी की मात्रा	तिमाही के अंतिम दिन समापित अतिशेष		वर्णन	मात्रा	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)